न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 19/2020
दायर दिनांक :– 25.06.2020

अनवान

ईश्वरलाल पिता रामकिशन गुर्जर नि. मोतीपुरा तह. जहाजपुर

वादी..........

बनाम

1. लाली बेवा देवलाल गुर्जर निवासी गोतीपुरा तहसील जहाजपुर
2. शंकर पिता देवलाल गुर्जर ना०बा०ब० बि०माता लाली बेवा देवलाल निवासी मोतीपुरा
3. दिलखुश पिता देवलाल गुर्जर ना०बा०ब० बि०माता लाली बेवा देवलाल निवासी मोतीपुरा
4. देवली पुत्री देवलाल गुर्जर ना०बा०ब० बि०माता लाली बेवा देवलाल निवासी मोतीपुरा
5. सन्तोष पुत्री रामकिशन गुर्जर निवासी मोतीपुरा तहसील जहाजपुर
6. बाली पुत्री रामकिशन गुर्जर निवासी मोतीपुरा तहसील जहाजपुर
7. भूला पुत्री रामकिशन गुर्जर निवासी मोतीपुरा तहसील जहाजपुर
8. गोपाल पिता जयकिशन गुर्जर निवासी मोतीपुरा तहसील जहाजपुर
9. काली पुत्री जयकिशन गुर्जर निवासी मोतीपुरा तहसील जहाजपुर
10. धन्ना पिता हरदेव गुर्जर निवासी मोतीपुरा तहसील जहाजपुर
11. कृष्ण कुमार पिता गोपाल गुर्जर आयु 10 वर्ष ना०बा०ब० बि०माता काली बेवा गोपाल निवासी मोतीपुरा
12. खाना पुत्र गोपाल गुर्जर ना०बा०ब० बि०माता काली बेवा गोपाल निवासी मोतीपुरा
13. मनीषा पुत्री गोपाल गुर्जर ना०बा०ब० बि०माता काली बेवा गोपाल निवासी मोतीपुरा
14. दुर्गा पुत्री गोपाल गुर्जर ना०बा०ब० बि०माता काली बेवा गोपाल निवासी मोतीपुरा
15. काली बेवा गोपाल गुर्जर निवासी मोतीपुरा तहसील जहाजपुर
16. धर्मराज पिता देवलाल गुर्जर निवासी मोतीपुरा तहसील जहाजपुर
17. इन्द्रादेवी पत्नि रामप्रसाद गुर्जर निवासी राममोहनपुरा तहसील जहाजपुर
18. प्रबन्धक महोदय, बी. ओ.बी शाखा अमरवासी तहसील जहाजपुर
19. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण.............

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री अखलाक खान, एडवोकेट वादी

:: **निर्णय** :: दिनांक 05.12.2022

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम राममोहनपुरा प.ह. गांगीथला मे आराजी सं. 160 रकबा 02–09 बीघा, आराजी सं. 181 रकबा 02–04 बीघा, आराजी सं. 185 रकबा 0–02 बीघा कुल किता 3 रकबा 04–15 बीघा कृषि भूमि राजस्व रेकॉर्ड में वादी ईश्वर पिता रामकिशन जाति गुर्जर के नाम खातेदारी से एवं सहखातेदार देवलाल, सन्तोष, बाली, भूलां पिता रामकिशन, एवं बगती बेवा रामकिशन 1/4 व गोपाल पिता जयकिशन, काली पुत्री जयकिशन 1/4 शंकर, दिलखुश, देवली पिता देवलाल ना० बा० ब० वि० माता लाली, लाली बेवा देवलाल, 1/4 धन्ना पिता हरदेव गुर्जर 1/4 गुर्जर निवासी मोतीपुरा के नाम सहखातेदारी से स्थित है। खातेदार बगती नेता रामकिशन फोत हो चुकी है। एवं खातेदार देवलाल पिता रामकिशन (गोदपुत्र खाना) गुर्जर की मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारिसानों को वाद में पक्षकार बनाया है। ग्राम गांगीथला प.ह. गांगीथला मे आराजी सं. 1148 रकबा 06–18 बीघा आराजी सं. 1140 रकबा 06–06 बीघा कुल किला 2 रकबा 11–04 बीघा कृषि भूमि राजस्व रेकॉर्ड में वादी ईश्वरलाल पिता रामकिशन जाति गुर्जर के नाम खातेदारी से एवं सहखातेदार देवलाल, सन्तोष, बाली, मूलां पिता रामकिशन, एवं बगती बेवा रामकिशन 1/8 व गोपाल पिता जयकिशन, काली पुत्री जयकिशन 1/8 इन्द्रा देवी पत्नि रामप्रसाद 1/8 धन्ना पिता हरदेव गुर्जर 1/8 गुर्जर, गोपाल, धर्मराज पिता देवलाल 3/8 निवासी मोतीपुरा के नाम सहखातेदारी से स्थित है। खातेदार बगती बेवा रामकिशन फोत हो चुकी है। एवं खातेदार देवलाल पिता रामकिशन (गोदपुत्र – खाना) गुर्जर की और खातेदार गोपाल पिता देवलाल गुर्जर की मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारिसानों को बाद में पक्षकार बनाया है। वाद की पैरा सं. एक व दौ में स्थित कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण शंकर, दिलखुश, देवली पिता देवलाल व लाली बेवा देवलाल गुर्जर की पैतृक कृषि भूमि है। जो पूर्व में खातेदार हरदेव गुर्जर के नाम खातेदारी से दर्ज थी। हरदेव की मृत्युपरान्त इसकी बेवा जमनी की भी मृत्यु होने से उक्त भूमि जिवीत वारिसान पुत्र जयकिशन, रामकिशन, खाना, धन्ना पिता हरदेव के नाम खातेदारी से दर्ज की गई। एवं जयकिशन की मृत्यु होने से व इसकी बेवा केली की भी मृत्यु होने से, उक्त भूमि इसके जायन्दा वारिसान पुत्र गोपाल व पुत्री काली के नाम दर्ज की गई। किन्तु खाना के जीवनकाल में इसके कोई पुत्र पुत्री सन्तान उत्पन्न नहीं होने से इसने दिनांक 19.04.1999 को अपने भाई रामकिशन के बड़े लडके देवलाल को जरिये रजि० गोदनामा निष्पादित करके, गोद रखा। तब से खाना की सम्पूर्ण सम्पत्ति की देखरेख भी देवलाल ने ही की व खाना की मृत्युपरान्त देवलाल की भी मृत्यु हो गई। व उक्त वादपत्र की पैरा सं. एक व दौ में वर्णित भूमि में से खाना के हिस्से की भूमि, खाना के गोदपुत्र देवलाल के जिवित वारिसानों प्रतिवादीगण शंकर, दिलखुश, देवली पिता देवलाल व लाली बेवा देवलाल गुर्जर के नाम खातेदारी से अंकन की गई। इस अनुसार पैतृक भूमि में देवलाल के प्राकृतिक पिता रामकिशन की भूमि में से देवलाल या इसके वारिसानों का कोई हक–अधिकार नहीं रहा है। किन्तु रामकिशन की मृत्यु होने पर राजस्व अधिकारियों की भूलवश उक्त भूमि का खाता विरासत से रद्दोबदल किये जाते समय, रामकिशन के जिवीत पुत्र वादी व पुत्री सन्तोष, बाली, भूलां के नाम के साथ, देवलाल का नाम भी दर्ज कर दिया गया । किन्तु देवलाल की मृत्यु हो जाने से इसके जिवीत वारिसानों प्रतिवादीगण शंकर, दिलखुश, देवली पिता देवलाल व लाली बेवा देवलाल गुर्जर निवासियान मोतीपुरा के मन में बेईमानी आ गई, और उक्त प्रतिवादीगण इनके नाम गलत दर्ज की गई भूमि को अवैध रूप से बेचान रजि0 कराने पर आमादा है। वादी वाद की पैरा सं. एक व दौ में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज दुरुस्ती करा, खातेदार देवलाल पिता रामकिशन या देवलाल की मृत्यु होने से इसके वारिसान शंकर, दिलखुश, देवली पिता देवलाल व लाली बेवा देवलाल गुर्जर के नाम दर्जशुदा भूमि को रामकिशन के वारिसान वादी स्वंय व प्रतिवादी सन्तोष बाली, भूलां पिता रामकिशन के नाम खातेदारी से दर्ज किये जाने की उदघोषणा करवाकर अपने पुश्तैनी हक व हिस्से की भूमि के मौके पर कब्जे कास्त मे, व राजस्व रेकॉर्ड में दखल अन्दाजी नही करने हेतु प्रतिवादीगण देवलाल के वारिसान शंकर, दिलखुश, देवली पिता देवलाल व लाली बेवा देवलाल गुर्जर को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना चाहता है। प्रतिवादीगण देवलाल के वारिसान शंकर, दिलखुश देवली पिता देवलाल व लाली बेवा देवलाल गुर्जर ने वादी ईश्वरलाल को दिनांक 07.06.2020 को उक्त वादी की पुश्तैनी हक धमकी देने से वादी को दिनांक 09.06.2020 से वाद

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

वादी ने उक्त जमाबन्दी रेकॉर्ड की नकल लेने से व हिस्से की भूमि को बेचान करने की हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वाद मे प्रतिवादी सन्तोष, बाली, भूलां पिता रामकिशन को वादी नहीं बनने से, प्रतिवादी बनाया है। एवं प्रतिवादी सं. 8 लगायत 10 को हरदेव के वारिसान होने से एवं प्रतिवादी सं. 11 लगायत 17 को सहखातेदार होने से वाद में फोरमल पक्षकार बनाया है। प्रतिवादी सं. 18 को कुछ पक्षकारों की भूमि रहन दर्ज होने से सूचनार्थ पक्षकार बनाया है । वाद की पैरा सं. एक व दौ में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करा, खातेदार देवलाल पिता रामकिशन या देवलाल की मृत्यु होने से इसके वारिसान शंकर, दिलखुश, देवली पिता देवलाल व लाली बेवा देवलाल गुर्जर के नाम दर्जशुदा भूमि को रामकिशन के वारिसान वादी स्वंय व प्रतिवादी सन्तोष, बाली, भूलां पिता रामकिशन के नाम खातेदारी से दर्ज किये जाने की उदघोषणात्मक डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादर पारित कराना फरमावे वाद के पैरा सं. एक व दौ मे वर्णित वादी की पुश्तैनी हक व हिस्से की भूमि देवलाल पिता रामकिशन या देवलाल की मृत्यु होने से इसके वारिसान शंकर, दिलखुश, देवली पिता देवलाल व लाली बेवा देवलाल गुर्जर के नाम खातेदारी से दर्ज भूमि के राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती की जाकर वादी व प्रतिवादीगण सन्तोष, बाली, भूलां पिता रामकिशन के नाम दर्ज किये जाने के बाद वादी व सन्तोष, बाली, भूलां पिता रामकिशन के मौके पर शान्तीपूर्ण कब्जेकास्त मे व रेकॉर्ड में दखल अन्दाजी नही करने बाबत् प्रतिवादी सं. एक लगायत चार को स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी से पाबन्द कराये जाने की मांग की।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सुचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने वाद पत्र की ताईद में खाता सं. 41 नकल जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 प्रदर्श 1, खाता सं. 98 नकल जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 प्रदर्श 2, नामान्तरण सं. 672 दिनांक 16.01.2013 प्रदर्श 3, खाता सं. 37 नकल जमाबन्दी सम्वत 2061 से 2064 प्रदर्श 4, खाता सं. 161 नकल जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 प्रदर्श 5, ग्राम पंचायत गांगीथला के संरपच व उपसरंपच से प्रमाणित सजरा प्रदर्श 6, खाना पिता हरदेव और इनकी पत्नि रूकमा द्वारा देवलाल पिता रामकिशन गुर्जर को गोद लिये जाने का रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 19.04.1999 की फोटो प्रति पेश की, जो शामिल पत्रावली है। तथा गवाह बयान में ईश्वर लाल, पी डब्ल्यु 1, श्रीराम पी डब्ल्यु 2, छीतर लाल पी डब्ल्यु 3, के बयान प्रस्तुत किये गये। जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने बताया कि उक्त वर्णित भूमि पुश्तैनी होकर हरदेव गुर्जर के नाम दर्ज थी। हरदेव की मृत्यु उपरान्त इसके वारिसान जयकिशन, रामकिशन, खाना, धन्ना के नाम दर्ज हुई। खाना के जीवनकाल में इसके कोई पुत्र पुत्री सन्तान उत्पन्न नहीं होने से इसने दिनांक 19.04.1999 को अपने भाई रामकिशन के बड़े लडके देवलाल को जरिये रजि० गोदनामा निष्पादित करके, गोद रखा। तब से खाना की सम्पूर्ण सम्पति की देखरेख भी देवलाल ने ही की व खाना की मृत्युपरान्त देवलाल की भी मृत्यु हो गई। व उक्त वर्णित भूमि में से खाना के हिस्से की भूमि, खाना के गोदपुत्र देवलाल के जिवित वारिसानों प्रतिवादीगण शंकर, दिलखुश, देवली पिता देवलाल व लाली बेवा देवलाल गुर्जर के नाम खातेदारी से अंकन की गई। इस अनुसार पैतृक भूमि में देवलाल के प्राकृतिक पिता रामकिशन की भूमि में से देवलाल या इसके वारिसानों का कोई हक–अधिकार नहीं रहा है। किन्तु रामकिशन की मृत्यु होने पर राजस्व अधिकारियों की भूलवश उक्त भूमि का खाता विरासत से रद्दोबदल किये जाते समय, रामकिशन के जिवीत पुत्र वादी व पुत्री सन्तोष, बाली, भूलां के नाम के साथ, देवलाल का नाम भी दर्ज कर दिया गया। किन्तु देवलाल की मृत्यु हो जाने से इसके जिवीत वारिसानों प्रतिवादीगण शंकर, दिलखुश, देवली पिता देवलाल व लाली बेवा देवलाल गुर्जर निवासियान मोतीपुरा के मन में बेईमानी आ गई, और उक्त प्रतिवादीगण इनके नाम गलत दर्ज की गई भूमि को अवैध रूप से बेचान रजि0 कराने पर आमादा है। वादी उक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज दुरुस्ती करा, खातेदार देवलाल पिता रामकिशन या देवलाल की मृत्यु होने से इसके वारिसान शंकर, दिलखुश, देवली पिता देवलाल व लाली बेवा देवलाल गुर्जर के नाम दर्जशुदा भूमि को रामकिशन के वारिसान वादी स्वंय व

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी सन्तोष बाली, भूलां पिता रामकिशन के नाम खातेदारी से दर्ज किये जाने की उदघोषणा करवाकर अपने पुश्तैनी हक व हिस्से की भूमि के मौके पर कब्जे कास्त मे, व राजस्व रेकॉर्ड में दखल अन्दाजी नही करने हेतु प्रतिवादी सं. एक लगायत चार को स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी से पाबन्द कराये जाने की डिकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण पारित कराना फरमावे।

मैने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा पेश रजिस्टर्ड गोदनाम दिनांक 19.04.1999 की फोटो प्रति में खाना पिता हरदेव गुर्जर द्वारा देवलाल पिता रामकिशन गुर्जर को 20 साल पूर्व गोद लिया जाने का उल्लेख है, परंतु उक्त दस्तावेज प्रमाणित नहीं है, अतः इसे गोद जाने के साक्ष्य के तौर पर ग्राह्य नहीं किया जा सकता। परंतु देवलाल को खाना द्वारा गोद लिए जाने की पुष्टि नामा. सं. 672 प्रदर्श 3 से भी होती है, जिसके द्वारा खाना पिता हरदेव के हिस्से की भूमि का विरासत से नामांतरण किसी पंजीबद्व गोदनामा के आधार पर सीधे ही देवलाल के वारिसान के नाम पर खोला गया हैं अतः मेरी विनम्र राय में देवलाल को खाना द्वारा गोद लिए जाने का तथ्य प्रमाणित पाया गया हैं। यह सुस्थापित है कि गोद चले जाने के बाद गोद जाने वाले व्यक्ति का अपने प्राकृतिक पिता की संपत्ति मे कोई अधिकार नहीं रहता हैं। लेकिन रामकिशन की मृत्यु होने से खाता विरासत से रद्दोबदल करते समय नामां. सं. 672 प्रदर्श 3 के अनुसार रामकिशन के जीवित पुत्र ईश्वरलाल, सन्तोष, बाली, भूला के नाम के साथ देवलाल का नाम भी दर्ज कर दिया गया। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हैं कि देवलाल खाना के गोद चले जाने के कारण रामकिशन की विरासत में देवलाल का नाम दर्ज नही होना चाहिये था। इसलिये जमाबन्दी सम्वत 2073–76 में देवलाल का ग्राम गांगीथला के खाता सं. 88 में 1/48 हिस्सा तथा ग्राम राममोहनपुरा के खाता सं. 47 में 1/24 हिस्सा को विलोपित किया जाना उचित है। उपरोक्त विवेचन अनुसार न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है कि ग्राम राममोहनपुरा प.ह. गांगीथला मे आराजी सं. 160 रकबा 02–09 बीघा, आराजी सं. 181 रकबा 02–04 बीघा, आराजी सं. 185 रकबा 0–02 बीघा कुल किता 3 रकबा 04–15 बीघा में देवलाल पुत्र रामकिशन के 1/24 हिस्सा तथा ग्राम गांगीथला प.ह. गांगीथला मे आराजी सं. 1148 रकबा 06–18 बीघा आराजी सं. 1149 रकबा 06–06 बीघा कुल किला 2 रकबा 11–04 बीघा में देवलाल पुत्र रामकिशन के 1/48 हिस्सा विलोपित करते हुए देवलाल पुत्र रामकिशन के स्थान पर जाकर वादी ईश्वलाल पिता रामकिशन, प्रतिवादी सन्तोष, बाली, भूलां पिता रामकिशन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिकी मुर्तिब की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक05.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)
ईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

अनवान

ईश्वरलाल पिता रामकिशन गुर्जर नि. मोतीपुरा तह. जहाजपुर

वादी..........

बनाम

1. लाली बेवा देवलाल गुर्जर निवासी मोतीपुरा तहसील जहाजपुर
2. शंकर पिता देवलाल गुर्जर ना०बा०ब० बि०माता लाली बेवा देवलाल निवासी मोतीपुरा
3. दिलखुश पिता देवलाल गुर्जर ना०बा०ब० बि०माता लाली बेवा देवलाल निवासी मोतीपुरा
4. देवली पुत्री देवलाल गुर्जर ना०बा०ब० बि०माता लाली बेवा देवलाल निवासी मोतीपुरा
5. सन्तोष पुत्री रामकिशन गुर्जर निवासी मोतीपुरा तहसील जहाजपुर
6. बाली पुत्री रामकिशन गुर्जर निवासी मोतीपुरा तहसील जहाजपुर
7. भूला पुत्री रामकिशन गुर्जर निवासी मोतीपुरा तहसील जहाजपुर
8. गोपाल पिता जयकिशन गुर्जर निवासी मोतीपुरा तहसील जहाजपुर
9. काली पुत्री जयकिशन गुर्जर निवासी मोतीपुरा तहसील जहाजपुर
10. धन्ना पिता हरदेव गुर्जर निवासी मोतीपुरा तहसील जहाजपुर
11. कृष्ण कुमार पिता गोपाल गुर्जर आयु 10 वर्ष ना०बा०ब० बि०माता काली बेवा गोपाल निवासी मोतीपुरा
12. खाना पुत्र गोपाल गुर्जर ना०बा०ब० बि०माता काली बेवा गोपाल निवासी मोतीपुरा
13. मनीषा पुत्री गोपाल गुर्जर ना०बा०ब० बि०माता काली बेवा गोपाल निवासी मोतीपुरा
14. दुर्गा पुत्री गोपाल गुर्जर ना०बा०ब० बि०माता काली बेवा गोपाल निवासी मोतीपुरा
15. काली बेवा गोपाल गुर्जर निवासी मोतीपुरा तहसील जहाजपुर
16. धर्मराज पिता देवलाल गुर्जर निवासी मोतीपुरा तहसील जहाजपुर
17. इन्द्रादेवी पत्नि रामप्रसाद गुर्जर निवासी राममोहनपुरा तहसील जहाजपुर
18. प्रबन्धक महोदय, बी. ओ.बी शाखा अमरवासी तहसील जहाजपुर
19. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण..............

दावा बाबत – 88, 89, 188 आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :– 19 / 2020

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री अखलाक खान का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि ..

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है कि ग्राम राममोहनपुरा प.ह. गांगीथला मे आराजी सं. 160 रकबा 02–09 बीघा, आराजी सं. 181 रकबा 02–04 बीघा, आराजी सं. 185 रकबा 0–02 बीघा कुल किता 3 रकबा 04–15 बीघा में देवलाल पुत्र रामकिशन के 1/24 हिस्सा तथा ग्राम गांगीथला प.ह. गांगीथला मे आराजी सं. 1148 रकबा 06–18 बीघा आराजी सं. 1149 रकबा 06–06 बीघा कुल किला 2 रकबा 11–04 बीघा में देवलाल पुत्र रामकिशन के 1/48 हिस्सा का नाम विलोपित किया देवलाल पुत्र रामकिशन के स्थान पर जाकर वादी ईश्वलाल पिता रामकिशन, प्रतिवादी सन्तोष, बाली, भूलां पिता रामकिशन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05.12.2022

मुहर

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner